

## प्रतिवेदन

### परियोजना का नाम:—

जिला योजना के अन्तर्गत सिलंगी से सेंज तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 0.350 हे० आरक्षित वन भूमि तथा मक डिस्पोजल हेतु 0.050 हे० कुल भूमि 0.400 हे० आरक्षित वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

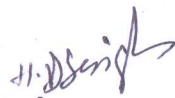
जिला योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में विकासखण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिलंगी से सेंज मोटर मार्ग की स्वीकृत जिलाधिकारी चमोली के पत्रांक सं० 1145/जि०यो०-3/2011-12 दिनांक 06.09.2011 द्वारा 1.00 कि०मी० लम्बाई हेतु लागत रु० 12.60 लाख की प्राप्ति हुई है।

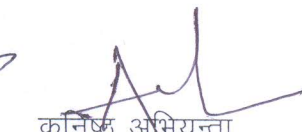
प्रस्तावित मोटर मार्ग सोनला-कण्डारा मैखुरा मोटर मार्ग के कि०मी० 18 से प्रारम्भ हो कर ग्राम सेंज की सीमा तक जाता है। इस मोटर मार्ग के निर्माण से ग्राम-सेंज प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे तथा ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्र यातायात से जुड़ जायेगे। इनका समग्र विकास होगा तथा साथ ही ग्रामीणों का तहसील मुख्यालय कर्णप्रयाग से सीधा सम्पर्क हो सकेगा। तथा अपनी नगदी फसलों को बाजार तक लाने में सुविधा होगी तथा उचित दाम पर बेच सकेंगे, जिससे ग्रामीणों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

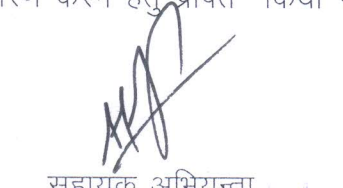
मार्ग का संरेखण इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि मार्ग निर्माण न्यूनतम आरक्षित/वन पंचायत भूमि से गुजरे एवं कम से कम वृक्षों का पातन हो। मार्ग में पड़ने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं।

|                                         |   |             |
|-----------------------------------------|---|-------------|
| 1-नाप भूमि 0.500 कि०मी० x 7मी०          | = | 0.350 हे०   |
| 2- आरक्षित वन भूमि 0.500 कि०मी० x 7 मी० | = | 0.350 हे०   |
| 3-मक डिस्पोजल हेतु                      | = | 0.050 हे०   |
| योग                                     | = | 0.750 हे० । |

अतः मार्ग निर्माण हेतु आरक्षित वन भूमि 0.350 हे० एवं मक डिस्पोजल 0.050 हे० कुल भूमि 0.400 हे० का प्रस्ताव गठित कर लो०नि०वि० को हस्तान्तरण करने हेतु प्रेषित किया गया है।

  
अमीन

  
कनिष्ठा अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर

  
सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर

  
अधीनस्थ अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०  
गौचर